SANJAY SINGH
Member of Parliament (Rajya Sabha)
Leader of Parliamentary Party

Member of

- Ethics Committee
- Business Advisory Committee
- Standing Committee on Defence
- Joint Parliamentary Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024
- Joint Parliamentary Committee on One Nation One Election Bill, 2024

सत्यमेव जयते

संजय सिंह
सांसद (राज्य सभा)
संसदीय दल के अध्यक्ष

सदस्य-

- आचार समिति
- व्यवसाय सलाहकार समिति
- रक्षा संबंधी स्थायी समिति
- संयुक्त संसदीय समिति, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- संयुक्त संसदीय समिति, एक देश एक चुनाव विधेयक, 2024

Ref. No. OTML/2026/22514

Date : 10/09/2026

सेवा में,

श्री योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

विषय: 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान कर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु।

महोदय,

संलग्न पत्र सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 के ओबीसी एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित है। इसमें उन्होंने मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की संस्तुति के अनुसार 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान कर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कराने का अनुरोध किया है। **(पत्र संलग्न)**

मा० आयोग ने अपनी पूर्व में जारी संस्तुति दिनांक 05.01.2022 को यथावत रखते हुए दिनांक 16.06.2026 को आयोजित बैठक में सभी माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। तत्पश्चात दिनांक 09.07.2026 को प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को संस्तुति की गई कि ओबीसी अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 60 अंक, अर्थात् 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण मानते हुए तदनुसार परीक्षाफल संशोधित कर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

Sanjay Singh

Office : 129, North Avenue, New Delhi-110001
Email : mp.sanjaysingh@sansad.nic.in
Web : www.sanjaysingh.org.in
Ph.: 011-23092293, (M): +91-8588841358, 9721444433

SANJAY SINGH
Member of Parliament (Rajya Sabha)
Leader of Parliamentary Party

Member of

- Ethics Committee
- Business Advisory Committee
- Standing Committee on Defence
- Joint Parliamentary Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024
- Joint Parliamentary Committee on One Nation One Election Bill, 2024

सत्यमेव जयते

संजय सिंह
सांसद (राज्य सभा)
संसदीय दल के अध्यक्ष

सदस्य-

- आचार समिति
- व्यवसाय सलाहकार समिति
- रक्षा संबंधी स्थायी समिति
- संयुक्त संसदीय समिति, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- संयुक्त संसदीय समिति, एक देश एक चुनाव विधेयक, 2024

Ref. No. OTML/2026/22514

Date : 10/09/2026

आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि अन्य भर्ती परीक्षाओं, जैसे सहायक अध्यापक भर्ती-2019 एवं प्रधानाध्यापक भर्ती-2021 में ओबीसी अभ्यर्थियों को समान छूट प्रदान की गई है। अतः केवल वर्ष 2018 की भर्ती में इस लाभ से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि संलग्न पत्र एवं मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि लंबे समय से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके तथा नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र संपन्न हो सके।

सादर,

(संजय सिंह)

Office : 129, North Avenue, New Delhi-110001
Email : mp.sanjaysingh@sansad.nic.in
Web : www.sanjaysingh.org.in
Ph.: 011-23092293, (M): +91-8588841358, 9721444433

सेवा मे,

मा० संजय सिंह जी
राज्यसभा सांसद
नई दिल्ली

विषयः- 68500 शिक्षक भर्ती 2018 में मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान कर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु संबंधित को आदेशित करने हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के संबंध में मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान किए जाने एवं सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की गई है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हुई वार्ता के अनुसार सरकार/शासन की ओर से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद कार्यवाही किए जाने की बात कही जा रही है।

मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुरूप ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान करते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर पात्र एवं सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर /संबंधित को आदेशित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र आरंभ कर संपन्न कराने की कृपा करें। चतुर्थ काउंसलिंग के अनुसार भर्ती में कुल लगभग 23,000 पद खाली है जिनमें से अकेले ओबीसी वर्ग के लगभग 9,000 पद खाली हैं।

इससे सामाजिक न्याय एवं आरक्षित वर्गों को समान अवसर की भावना को बल मिलेगा तथा लंबे समय से प्रतीक्षारत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय प्राप्त हो सकेगा।

अतः श्रीमान जी आपसे विनम्र आग्रह है कि इस विषय में 68500 शिक्षक भर्ती पर मा० राज्य पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के अनुसार शीघ्र कार्यवाही संपन्न करने हेतु संबंधित को संदर्भित करने की कृपा करें। आपके इस लोकहित के फैसले के लिए पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के समस्त अभ्यर्थी एवं परिवारजन आपके सदैव आभारी रहेंगे।

सहृदय आभार।

दिनांक -04/09/2026

संलग्नक- मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति,रिमाइंडर एवं आवश्यक प्रपत्र।

भवदीय Ashutosh Verma

1- आशुतोष वर्मा , खैरुल्लापुर , गूरेपारा ,जनपद –सीतापुर.,261135 उ०प्र०, मो० नंबर - 6387140871

2- नवीन चौधरी, हुमायूंपुर, बहेड़ीब्रह्मनान, जनपद -मुरादाबाद , उ०प्र०,244001 मो० नंबर 9410239800

3- अखिल कुमार यादव, गयासपुर, ,पूरेदूलम कुंडा, जनपद -प्रतापगढ़, 230204, उ०प्र०,मो० नंबर 9956046985

4- तूफान सिंह, गयासपुर कुंडा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश,230204, मो०नं० 9452844025

ईमेल- sbcc-up@nic.in
फोन : 0522-2287076
फैक्स: 0522-2228721

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग,

तृतीय तल, इन्दिरा भवन,अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्रांक 356 /96-शि0उ0-2019/रा0पि0व0आ0/2026 दिनांक 03/02/2026

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।

नोट : कृपया आयोग के पत्रों का सन्दर्भ (पत्रांक संख्या/तिथि) का अंकन अवश्य करे।

विषय: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की भर्ती प्रकिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक मे 05 प्रतिशत की छूट व आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उ0प्र0 द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 05-01-2022 को रिव्यू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य पिछडा वर्ग आयोग,उ0प्र0 में वाद संख्या 96-शि0उ0- 2019 श्री शिवबीर सिंह व अन्य बनाम अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के प्रकरण में मा0 आयोग की बैठक दिनांक 16-01-2026 में विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनु0-4 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 84/अरसठ-4-2026, दिनांक 29 अप्रैल, 2026 पर विचार करते हुये सर्वसम्मति से मा0 अध्यक्ष जी द्वारा प्रकरण में पुनः संस्तुति की गयी है। (संस्तुति की छायाप्रति संलग्न)

अतः मा0 आयोग द्वारा मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उ0प्र0 में वाद संख्या 96-शि0उ0-2019 श्री शिवबीर सिंह व अन्य बनाम अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन में पूर्व में की गयी संस्तुति दिनांक 05-01-2022 को यथावत् लागू किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित् कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से मा0 आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज कुमार सागर)
सचिव,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उ0प्र0

संख्या व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,उ0प्र0, लखनऊ।
2-निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3-सचिव, बेसिक शिक्षा प्रयागराज,
4-सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज ।
5- श्री शिवबीर सिंह यादव पुत्र श्री राधेश्याम यादव व अन्य, ग्राम-लहरापुर,पो0-गंजमुरादाबाद, थाना व तह0-बॉगरमऊ, जनपद-उन्नाव

(मनोज कुमार सागर)
सचिव,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उ0प्र0

फोन : 0522-2287076
फैक्स : 0522-2287215

अर्द्ध शा. पत्र सं. /रा.पि.व.आ./

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश

तीसरा तल, इन्दिरा भवन,
अशोक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : 07/07/2026

मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ0प्र0 लखनऊ की दिनांक 16.06.2026 को हुई बैठक में मा0 अध्यक्ष, मा0 उपाध्यक्ष एवं मा0 सदस्यगण द्वारा वाद संख्या–96–शि0उ0–2019 श्री शिववीर सिंह व अन्य बनाम अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन में आयोग द्वारा पारित संस्तुति दिनांक 05.01.2022 व संस्तुति अनुस्मारक पत्र दिनांक 13.01.2026 के कम में विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–84/अरसठ–4–2026 दिनांक 29.04.2026, पर विचार करते हुए निम्नवत निर्णय लिया गया–

68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–32/15/11/2018 दिनांक 09–01–2018 को मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये थे। जिसके अर्हक अंक में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 67 अंक अर्थात 45% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण किया जायेगा। जिसके आलोक में परीक्षा सम्पादित की गई और उक्त शासनादेश में उल्लेखित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

इसके पश्चात शासनादेश संख्या 457/15–11–2018 दिनांक 21–05–2018 द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा हेतु निर्गत गाइड लाइन्स सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 09–01–2018 के अर्हक अंक में संशोधन किया गया। जिसमें सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 49 अंक अर्थात 33% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 45 अंक अर्थात 30% पर उत्तीर्ण किया जायेगा। इस शासनादेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में याचिका संख्या–20404 (एस०एस०) 2018 दिवाकर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दाखिल की गयी जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 28–02–2019 को खारिज कर दिया–

Since the State Government has issued the Government Order date 20-02-2019 withdrawing the earlier Government Order dated 21-05-2018 which has been impugned in these writ petition, therefore the both of these writ petition have been rendered infructuous and accordingly the aforesaid writ petition are dismissed being infructuous.

विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित शासन के पत्र दिनांक 29.04.2026 में न्यायालय के जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है इसमें प्रथमदृष्टया ऐसा कोई तथ्य नही पाया गया, जो 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018 में 5% छूट दिये जाने पर कोई रोक लगाता हो या व्यवधान उत्पन्न करता हो।

68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2018 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुये 07 वर्ष व्यतीत होने के कारण इस स्तर पर किसी भी प्रकार की छूट देना विधि सम्मत नही बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से निराधार असंवैधानिक है। 07 वर्ष का समय व्यतीत होने में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मा० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ०प्र० लखनऊ की संस्तुति के अनुपालन में हुई देरी के कारण हुआ है। इस दौरान अभ्यर्थी मा० आयोग से न्याय पाने के लिए लगातार पत्राचार करते रहें है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मामला किसी भी संवैधानिक संस्था एंव न्यायालय में लंबित है तो देरी का कारण बताकर अभ्यर्थियों के साथ न्याय न करना असंवैधानिक/दण्डात्मक है।

विशेष सचिव उ0प्र0 शासन ने स्वयं अपने पत्र दिनांक 29–04–2026 में स्वीकार किया है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019, जूनियर (एडेड) सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 आदि के उत्तीर्णांक/अर्हक अंक में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में केवल 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–2018 के अभ्यर्थियों को इस लाभ से वंचित रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 में निहित शक्तियों "समानता के अधिकार" का उल्लंघन है।

इन सभी तथ्यों के आधार पर माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ०प्र० लखनऊ की बैठक दिनांक–16–06–2026 को सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय जिसमें पूर्व में जारी वाद संख्या–96–शि0उ0–2019 श्री शिववीर सिंह व अन्य बनाम अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन में पारित संस्तुति दिनांक 05.01.2022 को यथावत रखते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के उत्तीर्णांक/अर्हक अंक में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट प्रदान करते हुये पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण मानते हुए तद्नुसार परीक्षाफल को संशोधित किये जाने की संस्तुति की गयी और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ0प्र0 लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

प्रकरण पर मा0 आयोग की संस्तुति दिनांक 05.01.2022 और संस्तुति अनुस्मारक पत्र दिनांक 25.07.2025, 13.01.2026 पर न्यायपूर्ण कार्यवाही न करके आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर नियमानुसार कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है।

07/07/2026
(राजेश वर्मा)
अध्यक्ष
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ०प्र०